



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

- भारत सरकार का उपक्रम "मिनी रत्न" कंपनी -
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़ 335804-राजस्थान, श्रीगंगानगर,
सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc



दूरभाष/Phone : 01509-220006, 2,20084 223877

No. CSF/SOG/HRT/05/2023-24/

दिनांक:- 24.07.2023

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित विशिष्ट संतति उद्यान की नर्सरी में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में नर्सरी के पोधे तैयार करने हेतु निविदायें दिनांक 25/07/2023 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 31/07/2023 दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही हैं। जो उसी दिन दिनांक 31/07/2023 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने से पहले NEFT/RTGS/D.D. के माध्यम से निविदा प्रपत्र राशि 590/- रुपये (500+18% GST) अथवा धरोहर राशि रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) मात्र फार्म खाते में जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निविदा अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 से शाम 5.00 बजे तक फार्म से निविदा प्रपत्र राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकती है व निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निविदादाता को अपने पेन कार्ड/टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	25.07.2023
Date and time for submission of offline bid	31.07.2023 10:00 AM to 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in offline mode at NSC, HQ, Suratgarh	31.07.2023 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 590/- (Rs. 500+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 25000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh.Veer Singh, Manager(Production) Mob.- 08949598268

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We..... Proprietor/Partner/Authorized signatory of
M/S..... do hereby solemnly confirm and declare as
under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Suratgarh, Shri ganganagar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Suratgarh, Shri ganganagar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone/Mobile No: - -----

Technical Requirement of Tender/ निविदा की तकनीकी आवश्यकता

PARTICULARS/ब्यौरा	DETAILS/विवरण
Copy of GST Registration (*Not mandatory)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (*अनिवार्य नहीं)	
Copy of Pan Card/ पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head/ फर्म लेटर हेड की प्रति	
Details of EMD Deposit (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि का विवरण (रु.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	

Signature with Stamp/ मुहर के
साथ हस्ताक्षर

नाम/Name :

पता/Address :

मोबाइल व ईमेल/Mobile and E
Mail ID :

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

वित्तीय बोली

क्र.स .	पोधे का नाम	कार्य का विवरण	पोधो की संख्या	दर (प्रति पोधा)
1	निम्बू जातिय पोधे जेसे किन्नु , मोसंबी ,माल्टा, जाफा व निम्बू बडिंग द्वारा तैयार करना	फार्म नर्सरी मदर प्लांट्स से बडस्टिक का संग्रह, फार्म में तैयार खट्टी पौधों पर बडिंग करना, सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, डिसबडिंग और कम से कम 9 इंच निम्बू जातिये पौधों तैयार करना।	29000	
		फार्म नर्सरी मदर प्लांट्स से बडस्टिक का संग्रह, तैयार खट्टी पोधे लाकर उन पर बडिंग करना, सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, डिसबडिंग और कम से कम 9 इंच निम्बू जातिये पौधों तैयार करना।		
2	नीम्बू	पॉलीबैग भरना, बीज बोना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	6000	
3	अमरुद ग्राफ्टेड	ग्राउंड लेयरिंग या वेज ग्राफ्टिंग द्वारा कम से कम 9 इंच के पौधों की तैयारी के साथ सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन।	8000	
4	आम ग्राफ्टेड	रूट स्टॉक तैयार करना, ग्राफ्टिंग द्वारा कम से कम 9 इंच के पौधों की तैयारी के साथ सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन।	20000	
5	अनार	पॉलीबैग भरना, कटिंग लगाना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	12000	
6	करोँदा	पॉलीबैग भरना, बीज बोना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार	120000	

		करना।		
7	फालसा	पॉलीबैग भरना, बीज बोना कटिंग/ लगाना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	8000	
8	सहतूत	पॉलीबैग भरना, कटिंग लगाना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	12000	
9	गुलाब	पॉलीबैग भरना, बीज बोना/ कटिंग लगाना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	45000	
	बौगैन्विल्लिया		45000	
	गुडहल		45000	
	चांदनी		15000	
	कनेर		15000	
	गुलमोहर		8000	
	क्रोटन		15000	
	अन्य		45000	
10	शीशम	पॉलीबैग भरना, बीज बोना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	8000	
	बकान		8000	
	नीम		150000	
	खेजरी		2000	
	मोरिंगा		35000	
	अन्य		7000	
11	अमरुद	पॉलीबैग भरना, बीज बोना, पॉलीबैग शिफ्टिंग ,सभी इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद कम से कम 9 इंच ऊंचाई वाले पौधों तैयार करना।	6000	
	इमली		12000	
	आम्ला		10000	
	बेल		2000	
	आम		2000	

मैं/हम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) में पौधों के प्रसार के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं। पौधों के प्रसार के लिए न्यूनतम दरें मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई हैं।

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के मुहर के साथ नाम

और हस्ताक्षर जगह:



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

- भारत सरकार का उपक्रम "मिनी रत्न" कम्पनी -
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़ 335804-राजस्थान, श्रीगंगानगर,
सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone : 01509-220006, 2,20084 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc



No. CSF/SOG/HRT/05/2023-24/

Date: 24.07.2023

वर्ष 2023-24 व 2024-25 में फलदार व सजावटी पौधे तैयार करने हेतु नियम व शर्तें

- प्रत्येक निविदादाता को निविदाएं देने से पूर्व निविदा प्रपत्र राशि 590/- रुपये (500+18% GST) व रुपये 25000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) ई.एम.डी. राशि के रूप में फार्म खाते में जमा कराना होगा।
- फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है -
Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder : NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : State Bank of India, Suratgarh
- बाग में पौधे तैयार करने के कार्यों का टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
- असफल निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी। जो कि संतोषजनक कार्य के पूरा होने पर लौटा दी जायेगी। फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
- सफल निविदादाता/बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रुपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो कार्य आदेश जारी होने के 7 दिवस में जमा कराना होगा। स्टाम्प पेपर की कीमत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
- उक्त ठेके की अवधि जून 2023 से मई 2025 तक दो वर्ष की रहेगी।
- सफल निविदादाता/बोलीदाता को पौधा तैयार करने हेतु निम्न कार्य कराने होंगे: -
 - निम्बू वर्गीय पौधों जैसे किन्नो, मोसम्बी, माल्टा इत्यादि पौधे बनाने के लिए तैयार खड़ी के पौधों पर अगस्त-सितम्बर एवं फरवरी-मार्च माह में बाग के नर्सरी में स्थित मातृ पौधों से रोगमुक्त बडस्टिक लेकर बडिंग करके, 9 इंच का पौधा तैयार करके देने होंगे।
 - अमरुद के देसी पौधों को पोलीथीन बैग में लगाना व लगाये गये पौधे को पेंसिल के आकार में होने पर वेज ग्राफिटिंग करना, 6-9 इंच की उचाई तक पौधे तैयार करना, मुलवृन्त से उपर का सायन भाग कम से कम एक फीट होना चाहिए। तैयार अमरुद के पौधे निकाल कर ग्रीन हाउस में शिप्ट करने के 25 दिन के बाद भुगतान हेतु गिनती की जायेगी।
 - अमरुद के पौधे तैयार करने के लिए एयर लेयरिंग/दाब लेयरिंग/वेज ग्राफिटिंग विधि से अगस्त-सितम्बर तथा फरवरी-मार्च में एवं आम के पौधों की वेज ग्राफिटिंग विधि से अगस्त-सितम्बर महीने में करनी होगी व निराई गुडाई इत्यादि सभी कार्यों सहित पूर्ण करने होंगे। ऑवले के 50% पौधे जमीन में तथा 50% थैलियों में तैयार करने होंगे। रूट स्टोक तैयार करने का कार्य स्वयं तथा समय से करना होगा।
 - करौदा, लसौडा, वेलपत्र व सजावटी इत्यादि बीज/कटिंग से पौधे तैयार करके पोलीथीन बैग में भरना, बीज/कटिंग लगाना, सिचाई निराई गुडाई करना एवं पौधा 9 इंच से 1 फुट का तैयार करके देना होगा।

8. सभी तरह के विधियों जैसे बीज, कटाई, बडिंग, लेयरिंग, ग्रापिंग इत्यादि से तैयार पौधों की गिनती 9 इंच या उससे अधिक ऊंचाई होने पर ही की जाएगी व टेकेदार को कार्य का भुगतान फार्म समिति द्वारा सत्यापित 9 इंच या उससे अधिक ऊंचाई वाले पौधों की गिनती के बाद ही की जाएगी।
9. टेकेदार को बडस्टिक, कटिंग रोग मुक्त पौधों से स्वयं बाग के सुपरवाइजर की निगरानी में काटने होंगे।
10. फार्म कलम काटने व अन्य कृषि कार्यों हेतु कोई भी औजार प्रदान नहीं करेगा सभी औजार टेकेदार को स्वयं लाने होंगे।
11. टेकेदार को बडिंग/ग्रापिंग के लिए दिये गये रूट-स्टाक का न्यूनतम 60 प्रतिशत पौधे तैयार करके देना होगा। यदि इससे कम पौधे बनते हैं तो इसकी भरपाई टेकेदार के बिल से या धरोहर राशि से एक रूपया प्रति पौधा मूलवृत्त के आधार पर की जायेगी।
12. टेकेदार को मूलवृत्त में बडिंग/ग्रापिंग करने के बाद 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पौधों में कम से कम 9" के फुटाव आने पर जीवित पौधों की गिनती करके किया कर दिया जायेगा। गिनती केवल जीवित कलमी पौधों की ही की जायेगी। बिल का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा।
13. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. टेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक टेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।
15. टेकेदार द्वारा या टेकेदार के किसी भी कर्मियों द्वारा फार्म की सम्पत्ति में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई हेतु टेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
16. आमंत्रित किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
17. टेकेदार यदि आवंटित कार्य अपूर्ण छोड़कर जाता है तो यह कार्य किसी अन्य से करवा लिया जावेगा। इस कार्य को पूर्ण करवाने में अगर फार्म को कोई हानी होती है, तो इसकी भरपाई टेकेदार से कर ली जायेगी। साथ ही सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जायेगा इसके अलावा कार्य को बिच में छोड़कर कर जाने पर आपके ऊपर डिबार सूचि में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
18. टेकेदार पौधे तैयार करते समय प्रत्येक क्यारी को कार्य के दौरान कम से कम 8 बार निराई-गुड़ाई करायेगा।
19. फार्म के पास यह पूर्ण अधिकार होगा की दिए लक्ष्य में पौधे बनाने की संख्या घटा या बढ़ा सकती है जिसके लिए टेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
20. पौधों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी टेकेदार की होगी।
21. किसी भी प्रकार का टेक्स यदि लागू है तो टेकेदार को वहन करना होगा।
- 22. उपरोक्त ई-निविदा में भाग लेने हेतु पार्टी का पैन कार्ड व आधार कार्ड होना आवश्यक है।**
23. कार्य के आवंटन के पश्चात आपको सभी कार्य निर्धारित समय पर उद्यान अधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा करना होगा, निर्धारित समय पर किसी कार्य में 15 दिन से ज्यादा देरी होने पर फार्म को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान का भुगतान टेकेदार से की जाएगी साथ ही आपके ऊपर फार्म के नियम व शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
24. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो टेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में टेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

25. **Arbitration clause (मध्यस्थता खंड) :** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।
26. उपरोक्त शर्तों को सुन-समझकर व पढ़कर बताया गया जो मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

**हस्ताक्षर
दिनांक**

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

टेकेदार का नाम.....
पूरा पता.....
.....
पिन कोड.....
मोबाइल नं०.....